

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

कमांक:- प.13(1)लघु प्रकृति/विविध/गृह-10/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक 6-7-17

आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिनांक 8.7.2017 को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में लघु प्रकृति के प्रकरणों की समीक्षा हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित किये जाने हेतु समसंख्यांक दिनांक 15.5.2017 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे। अतः यह आदेशित किया जाता है कि तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 8.7.2017 को समस्त सहायक निदेशक अभियोजन एवं अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी जिनसे संबंधित प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गये हैं, कार्यालय में नियमित कार्यदिवस की भांति उपस्थित रहेंगे।

२१६/६७११७
(देवेन्द्र दीक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव गृह

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।

२१६/६७११७
(देवेन्द्र दीक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव गृह